कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी संतकबीरनगर वन प्रभाग,संतकबीरनगर।

पत्रांक– 1249 / 39–1 (नि0सू0) दिनांक, संतकबीरनगर, मार्च 19 /2017

अल्पकालीन निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि संतकबीरनगर वन प्रभाग के अन्तर्गत वृक्षारोपण वर्ष 2017 हेतु वर्मी कम्पोस्ट खाद लगभग 100 मी0 टन क्रय किया जाना है,जिसकी मात्रा घट–बढ सकती है। उक्त कार्य हेतु पंजीकृत निविदादाताओं से मुहरबंद/सीलबन्द निविदा आमन्त्रित की जाती है जो दिनांक 27.03.2017 के अपरान्ह 02.00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट से प्राप्त किया जायेगा तथा दिनांक 27.03.2017 को अपरान्ह 04.00 बजे समय से प्राप्त निविदाओं को गठित समिति के अधिकारियों द्वारा प्रभागीय कार्यालय में खोला जायेगा। निविदा प्रपत्र का क्रय अधोहस्ताक्षरी/क्षेत्रीय वन अधिकारी खलीलाबाद के कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा कर दिनांक 27.03.2017 तक पूर्वान्ह 12.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। निविदा के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी एवं शर्ते अधोहस्ताक्षरी/क्षेत्रीय वन अधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखा जा सकता है। आपूर्ति की जाने वाली सामग्री व अनुमानित मात्रा एवं निविदा प्रपत्र का मूल्य व जमा की जाने वाली बन्धक धनराशि का विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्र. सं.	आपूर्ति हेतु सामग्री का विवरण	अनुमानित मात्रा	बन्धक धनराशि	निविदा का मूल्य
1	2	3	4	5
1	वर्मी कम्पोस्ट खाद	100.00 मी0 टन	25000.00	844.00

<u>निविदा की शर्ते निम्नानुसार हैः–</u>

1– निविदा का मूल्य–रू0 300/– (+) वैट–44/–(+)स्टेश्नरी चार्ज–500/– कुल 844/– मात्र अधोहस्ताक्षरी/क्षेत्रीय वन अधिकारी खलीलाबाद के कार्यालय में नगद जमा कर निविदा प्राप्त किया जायेगा। निविदा प्रपत्र अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय द्वारा निर्गत निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होगा।

2– उपरोक्त सामग्री की आपूर्ति हेतु निविदा की शर्तों के साथ तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड के प्रपत्र सम्मिलित हैं, जिसे अलग–अलग बन्द लिफाफे में तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड अंकित कर मुहरबन्द/सीलबन्द करके एक अन्य लिफाफे में मुहरबन्द/सीलबन्द करके लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से जिस कार्य हेतु निविदा प्रेषित की जा रही है, उस सामग्री का नाम अंकित करके इस कार्यालय में दिनांक 27.03.2017 को अपरान्ह् 2.00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त समय के बाद कोई भी निविदा प्राप्त/स्वीकार नहीं की जायेगी। निविदा के लिफाफे को सेलोटेप से भी चिपकाना आवश्यक है। निविदा में अंकित की गयी दर को शब्दों व अंकों में लिखना होगा तथा निविदा की दरों में किसी प्रकार की कटिंग अथवा ओवर राइटिंग न की जाय अन्यथा प्राप्त निविदा को मान्य नहीं किया जायेगा।

3– निविदादाता को तकनीकी बिड के साथ प्रमाणित एवं अध्यावधिक रूप से उद्योग विभाग द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण–पत्र, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र, फर्म के वैट/टिन नम्बर का प्रमाण–पत्र, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नम्बर, अन्तिम तीन वर्ष की आयकर विवरणी, आडिटेड बैलेन्स शीट, जिले के एस.एस.पी. द्वारा पुलिस क्लीयरेन्स प्रमाण–पत्र, जिले के जिलाधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र व हैसियत प्रमाण–पत्र एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण–पत्र दिया जाना अनिवार्य है अन्यथा इसके अभाव मे निविदा अस्वीकृत किया जा सकता है।

4– उक्त निविदा में संलग्न तकनीकी बिड पहले खोली जायेगी तथा जिस निविदादाता की तकनीकी बिड उपयुक्त पायी जायेगी उसी निविदादाता की वित्तीय बिड सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित समय पर खोली जायेगी।

5– निर्माता इकाई को शासनादेश के अनुसार वरीयता दी जायेगी।

6– कोई भी निविदादाता कार्यदायी प्रभाग/वृत में जहॉ उनके सम्बन्धी अथवा पत्नी का कोई निकट सम्बन्धी (प्रथम रक्त संबधी अथवा उसकी पत्नी) किसी पद पर कार्यरत हो, निविदा डालने के लिये अनुमन्य नही होगा।

7– निविदा के साथ मॉगी गयी बन्धक की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) राष्ट्रीय बचत पत्र/राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकघर का एफ.डी.आर. अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से बन्धक कराकर मूल रूप में जमा करना अनिवार्य है, जो निविदा की वैधता से 45 दिन से अधिक दिन तक वैध होना अनिवार्य है, बिना बन्धक धनराशि के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

........2

8– निविदादाता जो स्टेट बार कौंसिल में पंजीकृत हों अथवा जो निविदादाता राज्य सरकार की काली सूची में दर्ज हैं अथवा अपराधिक रिकार्ड वाले निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लेना चाहिए। इसकी जानकारी होने पर निविदा निरस्त करने एवं जमा बन्धक/जमानत की धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।

9– निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिवस तक होगी तथा एक बार प्रस्तुत की गयी निविदा वापस नहीं ली जा सकती है। किसी भी पात्र संस्था/व्यक्ति द्वारा प्रेषित एक ही निविदा मान्य किया जायेगा तथा निविदा के साथ 100/– का नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर रु 1.00 का रसीदी टिकट चस्पा कर हस्ताक्षर के साथ निविदादाता द्वारा निविदा की वैधता के सम्बन्ध में घोषणा की जायेगी।

10– यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है कि किसी निविदादाता द्वारा अन्य किसी निविदादाता को निविदा डालने व निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से रोका गया है तो ऐसे अनुबन्ध को निरस्त कर दिया जायेगा।

11– निविदा में अंकित दर में सामग्री का मूल्य एवं वैट की धनराशि अलग–अलग लिखकर योग करना होगा तथा उक्त सामग्री का मूल्य एफ.ओ.आर. सम्बन्धित रेंज के भण्डार स्थल/वृक्षारोपण स्थल तक ढुलान भाड़ा, लोडिंग/अनलोडिंग सहित माना जायेगा।

12– निविदा निर्धारित दिनांक, समय व स्थल पर खोली जायेगी। निविदा खोलने के समय निविदादाता अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकता है। किन्तु निविदादाता अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं रहने पर भी प्राप्त निविदाएं अधोहस्ताक्षरी द्वारा गठित समिति के अधिकारी द्वारा खोली जायेगी। निविदा खोलने की तिथि में अवकाश होने पर अथवा किसी अपरिहार्य परिस्थिति में गठित समिति के अधिकारी के उपस्थित नहीं रहने के कारण निविदा अगले कार्य दिवस में अथवा किसी प्रकार के आवश्यक संशोधन होने पर नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जायेगा।

13–अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि वह सभी निविदा अथवा किसी भी निविदा को बिना कारण बताए अमान्य/अस्वीकृति कर दें, जिस पर किसी भी निविदादाता का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

14– निविदादाता को निविदा की सभी शर्तें मान्य हैं, इस आधार पर निविदा की शर्तों के सभी पन्नों पर हस्ताक्षर करके निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है तथा निविदा की शर्तों के अतिरिक्त निविदादाता की तरफ से कोई अतिरिक्त शर्त नहीं मानी जायेगी।

15– निविदादाता को व्यापारकर, आयकर अथवा शासन द्वारा निर्धारित सभी प्रकार के कर जमा करना होगा तथा आयकर की कटौती भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल से कर ली जायेगी।

16– जिस निविदादाता की निविदा स्वीकृत की जायेगी, उसको कार्यादेश के अनुसार तत्काल सामग्री की आपूर्ति करनी होगी तथा समय से आपूर्ति नहीं किये जाने अथवा दोषपूर्ण सामग्री की आपूर्ति करने पर स्वीकृत निविदा निरस्त करके जमानत की धनराशि जब्त किया जा सकता है तथा स्वीकृति न्यूनतम दर पर अन्य किसी व्यक्ति/संस्था से उक्त सामग्री क्रय किया जा सकता है, जिस पर स्वीकृति निविदादाता का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

17– जिस निविदादाता की निविदा स्वीकृति की जायेगी कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व सम्पूर्ण लागत की 10 प्रतिशत धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र/राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकघर का एफ.डी.आर. ''प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बस्ती'' के पदनाम से बन्धक कराकर जमानत के रूप में जमा करना होगा।

18– जिस निविदादाता की निविदा स्वीकृत किया जायेगा, उसे तत्काल अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर कर जमा करना होगा तथा स्टाम्प ड्यूटी पर व्यय निविदादाता के द्वारा की जायेगी। ऐसा न करने पर उनके द्वारा जमा जमानत की धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त किया जा सकता है।

19– सामग्री का मानक व गुणवत्ता एवं मात्रा के अनुसार सम्बन्धित फर्म द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी को सामग्री की आपूर्ति संतोषजनक रूप से प्रमाणित किये जाने के पश्चात् फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल पर भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार बजट की उपलब्धता के अनुसार की जायेगी

20–उपरोक्त निविदा प्रपत्र एवं निविदा के शर्तों की पूर्ण जानकारी एन.आई.सी. कलेक्ट्रेट, संतकबीरनगर के विज्ञापन वेवसाइट www.sknagar .nic.in पर ''supply of vermi compost khad'' अपलोड करके प्राप्त किया जा सकता है।

21– निविदा के साथ निविदा क्रय हेतु जमा की गयी धनराशि के रसीद की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित किया जाना आवश्यक है।

.......3

22– निविदा की दरें अनुमोदित होने पर दिनांक 30.06.2017 तक के लिए मान्य रहेगा तथा वह फर्म उसी अनुमोदित दरों पर दिनांक 30.06.2017 तक उक्त सामग्री की आपूर्ति करने के लिए बाध्य होगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घट–बढ़ सकती है तथा बढ़ी हुई मात्रा को भी निविदा की स्वीकृति दरों पर आपूर्ति करना होगा।

23– निविदा के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद व मतभेद उत्पन्न होता है तो उसके अन्तिम निर्णय हेतु वन संरक्षक, बस्ती वृत्त, बस्ती सक्षम अधिकारी होंगे और उनका निर्णय उभयपक्षों को मान्य होगा।

(के0डी0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
संतकबीरनगर वन प्रभाग संतकबीरनगर।

संख्या– 1249 /उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर प्रमुख वन संरक्षक, आई0टी0, वन विभाग, इन्दिरानगर, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त निविदा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें, तद्नुसार साफ्ट कापी ई–मेल apccfit-up@nic.in पर प्रेषित है।

2– मुख्य वन संरक्षक, सा0वा0, उ0प्र0, लखनऊ।

3– मुख्य वन संरक्षक, पूर्वी क्षेत्र, गोरखपुर।

4– वन संरक्षक, बस्ती वृत्त, बस्ती।

5– समस्त प्रभागीय निदेशक,/वनाधिकारी बस्ती वृत्त, बस्ती।

6– जिलाधिकारी, संतकबीरनगर

7– जिला सूचना अधिकारी, संतकबीरनगर

8– एन0आई0सी0 संतकबीरनगर को पेन ड्राइव के साथ इस आषय से प्रेषित कि कृपया उक्त अल्पकालीन निविदा सूचना को एन0आई0सी0 संतकबीरनगर की वेबसाइट पर www.sknagar .nic.in पर "supply of vermi compost khad"अपलोड करने का कष्ट करें।

9– व्यापार कर अधिकारी, संतकबीरनगर।

10– जिला उद्योग अधिकारी, संतकबीरनगर ।

11– उप प्रभागीय वनाधिकारी संतकबीरनगर ।

12– समस्त क्षेत्रीय वन अधिकारी, संतकबीरनगर वन प्रभाग को वृहद रूप से प्रचार–प्रसार हेतु।

13– स0सा0अधिकारी, वैयक्तिक सहायक/प्रधान लिपिक, राजस्व लिपिक, लेखा लिपिक एवं भण्डार लिपिक प्रभागीय कार्यालय, संतकबीरनगर वन प्रभाग।

14– नोटिस बोर्ड प्रधान कार्यालय संतकबीरनगर वन प्रभाग।

(के0डी0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
संतकबीरनगर वन प्रभाग संतकबीरनगर।

संतकबीरनगर वन प्रभाग में वित्तीय वर्ष 2016–17 में वर्ष 2017 वृक्षारोपण के लिए वर्मी कम्पोस्ट खाद की आपूर्ति हेतु निविदादाता का तकनीकी भाव–पत्र

(1) निविदा का पत्रांक व दिनांक पत्रांक– 1249 /39–1(नि0सू) दिनांक– 19.03.2017

(2) आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का मानक

(3) फर्म का नाम

(4) फर्म का स्थाई पता

(5) फर्म से पत्र व्यवहार का पता

(6) पार्टनर/प्रोपराइटर/निविदादाता का नाम

(7) निविदा क्रय रसीद का विवरण

(8) अर्नेस्ट मनी का विवरण

(9) अनुबन्ध पत्र रू0 100 स्टाम्प पर

(10) उद्योग विभाग की पंजीयन संख्या

(11) पैन नम्बर

(12) टिन नम्बर

(13) पूर्व अनुभव विवरण

(14) निविदा की शर्त के अनुसार संलग्नकों का विवरण–

1–

2–

3–

4–

5–

निविदादाता का हस्ताक्षर–

निविदादाता का नाम–

फर्म की मोहर–

दिनांकः–

.......5

संतकबीरनगर वन प्रभाग में वित्तीय वर्ष 2016–17 में वर्ष 2017 वृक्षारोपण के लिए वर्मी कम्पोस्ट खाद की आपूर्ति हेतु निविदादाता का वित्तीय भाव–पत्र

1– निविदा का पत्रांक व दिनांक पत्रांक– 1249 /39–1(नि0सू) दिनांक– 19.03.2017

2– निविदादाता का पूरा नाम ....

3– निविदादाता का पूर्ण स्थाई पता :..

....

....

4– निविदादाता का पत्र व्यवहार का पूर्ण पता :...

....

....

5– निविदा से सम्बन्धित वित्तीय विवरण :

क्र. सं.	आपूर्ति हेतु सामग्री का विवरण	दर प्रति मी0टन ढुलान व लोडिंग / अनलोडिंग सहित	वैट की धनराशि	कुल योग (अंकों में)	कुल योग (शब्दों मे)
1	2	3	4	5	6
1	वर्मी कम्पोस्ट खाद				

निविदादाता का हस्ताक्षर–

निविदादाता का नाम–

फर्म की मोहर–

दिनांकः–

......6

अनुबन्ध–पत्र

टेण्डर नोटिस संख्या– प्रभागीय वनाधिकारी संतकबीरनगर वन प्रभाग संतकबीरनगर के कार्यालय का पत्रांक– 1249 /39–1 (नि0सू0) दिनांक– 19.03.2017

टेण्डरदाता का नाम–

पूर्ण पता–

राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वारा टेण्डरदाता को उपर्युक्त व्यक्ति मानने पर जिसके टेण्डर पर विचार किया जा सकता है। टेण्डरदाता इस शर्तों से सहमत है कि टेण्डर नोटिस के क्रम में भेजा गया टेण्डर का प्रस्ताव टेण्डर खोलने के 90 दिन के अन्दर वापस नहीं लेंगे, और यदि टेण्डरदाता अपना प्रस्ताव निर्धारित समय के अन्दर वापस लेंगे तो उनके द्वारा जमा बन्धक धन का अपहरण उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में किया जा सकता है।

क्र0सं0	गवाह का नाम व पता	गवाह का हस्ताक्षर	दिनांक, माह व वर्ष
1–			
2–			

टेण्डरदाता का हस्ताक्षर–

टेण्डरदाता का नाम–

पूरा पता–

फर्म की मोहर–

दिनांकः–